संख्या- 1 /2020/1166/53-2-19-10(बजट)/2017

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 जनवरी , 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत पूंजी व्यय लेखा पक्ष में "14-मोटर गाडियों का क्रय" में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-511/ वित्त सम्भाग-3/अनु0 मांग/2019-20, दिनांक 18 सितम्बर, 2019 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4404-डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें-14- मोटर गाडियों का क्रय" मद में प्राविधानित धनराशि रू० 28.00 लाख (रूपये अटठाइस लाख मात्र) श्री राज्यपाल दुग्ध आयुक्त के निवर्तन पर अवमुक्त किये जाने एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष गैर लग्जरी श्रेणी के 02 वाहन Bollero SIE Power + BSIV ABS AB, एवं 01 वाहन टाटा नेक्सान एक्स एम0 क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के शासनादेशों में निहित व्यवस्था/ सीमान्तर्गत जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम दरों किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की धनराशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुयी है।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में ही किया जायेगा किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा। धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके यथावश्यक धनराशि ही आहरित किया जाय।

(4) प्रशासकीय विभाग द्वारा मितव्ययता के दृष्टिगत वाहन गैर लग्जरी मॉडल का ही क्रय किया जाये।

(5) स्वीकृति की जा रही धनराशि जिस कार्य /मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य कार्य/मद हेतु किया जायेगा ।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर पी0एल0ए0/ बैंक खाते /डाकधर में नहीं रखी जायेगी ।

(7) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी/-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का पूर्णत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) वाहनों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/ 2017/523/18-22017-97-(ल०उ०)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृति की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4404-डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें-14- मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ०शा० सं०- ई-1-1209/ दस-2019, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या- 1/2020 /1166(1)/53-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधानमहालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।